

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

—अधिसूचना—

दिनांक—.....2016

ज्ञापांक:—सं०-1/चौ०-90-02/2013, गृ०आ०...../पटना, भारत—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम- 2(6) में प्रयुक्त वाक्यांश 'चौकीदार/दफादार' के पश्चात् निम्न चिन्ह एवं शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा, :-
“/वरीय दफादार”
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :-
“ 3—संवर्ग का गठन ; (1) बिहार चौकीदार संवर्ग में निम्न पद सम्मिलित होंगे—
(i) चौकीदार— यह इस संवर्ग का मूल कोटि का पद होगा। चौकीदार पद समूह 'घ' का पद होगा।
(ii) दफादार— यह संवर्गीय पदोन्नति का पद होगा, जो चौकीदार पद पर कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा। यह पद समूह 'ग' का पद होगा।
(iii) वरीय दफादार— यह संवर्गीय प्रोन्नति का द्वितीय सोपान का पद होगा। यह पद दफादार पद पर कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा।
(iv) इस संवर्ग के विभिन्न पदों की स्वीकृत बल की संख्या निम्नवत होगी, जिसे गृह विभाग द्वारा समय-समय पर, परिवर्तित किया जा सकेगा।
(क) चौकीदार — स्वीकृत पद की संख्या — 26000
(ख) दफादार — स्वीकृत पद की संख्या — 1900
(ग) वरीय दफादार— स्वीकृत पद की संख्या — 1000
(v) विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
(vi) यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा एवं संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति पदाधिकारी तथा संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।”
4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-9 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :-
“ 9—वेतनमान्—चौकीदार— (i) दसवी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हेतु—
पे बैण्ड 5200—20200 + ग्रेड पे 1800 /—

११

(ii) गैर दसवी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हेतु-

पे बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 1650/-

दफादार- पे बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 1900/-

वरीय दफादार-पे बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 2000/-

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-10 में संशोधन :-

“ नियम- 10 में प्रयुक्त वाक्यांश ‘दफादार के पद पर’ के पश्चात् शब्द ‘तथा दफादार के पद से वरीय दफादार के पद पर’ अंतःस्थापित किए जाएंगे।”

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-11 (ख) में संशोधन :-

“ नियम-11 (ख) में प्रयुक्त वाक्यांश ‘चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों’ के पश्चात् शब्द ‘तथा तृतीयवर्गीय कर्मचारियों’ को अंतःस्थापित किये जायेंगे”

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-सं0-1/चौ0-90-02/2013, गृ0आ0...../ दिनांक.....2016

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना -07/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-सं0-1/चौ0-90-02/2013, गृ0आ0...../ दिनांक.....2016


प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-सं0-1/चौ0-90-02/2013, गृ0आ0...8637...../ दिनांक...28/10.....2016

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
Home Department
(Police Branch)

-Notification-

Dated.....2016

No.-1/Chou-90-02/2013,H.P...../Patna, In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Chowkidar Cadre Rules, 2006 (As amended from time to time) :-

1. Short title, extent and commencement .- (1) These rules may be called Bihar Chowkidar Cadre (Amendment) Rules, 2016.
 - (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (iii) It shall come into force with immediate effect.
2. In Rule 2 (6) of the said Rules, 2006 the following symbol and words shall be inserted after "Chowkidar / Dafadar "

"/Senior Dafadar"
3. Rule-3 of the said Rules, 2006, shall be substituted by following:-

"3- Constitution of Cadre-(1) Bihar Chowkidar Cadre will comprise of following posts :-

 - (i) Chowkidar – It shall be post of basic category of this cadre. The post of Chowkidar shall be of Group-"D".
 - (ii) Dafadar – It shall be promotional cadre post which will be filled up by promotion from the employee working on the post of Chowkidar. The post Dafadar shall be of Group-"C"
 - (iii) Senior Dafadar - It shall be second hierarchical post of the cadre promotion. This post shall be filled up by promotion of the employees working on the posts of Dafadar.
 - (iv) The number of sanctioned strength of different posts of this cadre shall be as follow, which may be altered from time to time by Home Department:-
 - (A) Chowkidar – Number of sanctioned post- 26000
 - (B) Dafadar – Number of sanctioned post -1900
 - (C) Senior Dafadar – Number of sanctioned post - 1000
 - (v) Legally appointed and working all the Chowkidars and Dafadars shall be automatically included in this cadre.
 - (vi) This cadre shall be District level Cadre and concerned District Magistrate shall be the Appointing officer and Cadre Controlling Officer.

19

4. Rule-9 of the said rules, 2006 shall be substituted by following :-

“9- Pay scale- Chowkidar -	(i) For 10 th Exam passed or equivalent - Pay Band 5200-20200+Grade Pay 1800/-
	(ii) For Non matric or equivalent Pay Band 5200-20200+Grade Pay 1650/-
Dafadar -	Pay Band 5200-20200+Grade Pay 1900/-
Senior Dafadar -	Pay Band 5200-20200+Grade Pay 2000/-

5. Ammendment to Rule-10 of the said Rules-2006 .-

“ In Rule-10, after the words" on the post of Dafadar,” the words from the post of Dafadar to the post of Senior Dafadar” shall be inserted.

6. Ammendment to the Rule-11 (B) of the said rules 2006.

“In Rule-11 (B), after the words "Fourth grade employees" The words"and third grade employees” shall be inserted.

By order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Ranjan Kumar Sinha)

Additional Secretary to the Govt.

Memo No.- 1/Chou-90-02/2013H.P.....Patna, Dated...../
Copy to :- Superintendent , Government Press, Gulzarbagh, Patna – 07/Incharge e-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna to publish in Extra Ordinary Edition of Gazette.

It is requested that 1000 extra copies of notification may kindly be made available to Home Department (Police Branch) for use by the office.

Sd/-

Additional Secretary to the Govt.

Memo No.- 1/Chou-90-02/2013H.P.....Patna, Dated...../
Copy to :- Chief Secretary, Bihar, Patna/Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/Secretary-Cum-Legal Advisor, Bihar, Patna/Principal Secretary General Administration Department/Principal Secretary, Finance Department/A. G. Bihar, Patna/Director General of Police, Bihar, Patna/All Commissioner/All District Magistrate/All Senior Police Superintendent /All Police Superintended for information & necessary action.

Sd/-

Additional Secretary to the Govt.

Memo No.- 1/Chou-90-02/2013H.P.....Patna, Dated 28/10/16...../
Copy to :- Forwarded to I.T. Manager, Home Department, Bihar, Patna for information & necessary action.

Additional Secretary to the Govt.